हिन्दी की निरुक्ति

Sem. 4
MJ-7

भाषा-अर्थ में 'हिन्दी' शब्द के प्रयोग का प्रचलन अधिक पुराना नहीं है। अंग्रेजी शासन के पहले तक यह भाषा या भाखा के रूप में जानी जाती थी। देश के लिए भी हिन्दुस्तान शब्द का प्रचलन बहुत बाद का है। यह देश बुद्ध के समय तक भी भारतखण्ड या जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। वस्तुतः ~~प्रथमतः~~ देश के लिए 'हिन्द' या 'इण्डिया' नाम विदेशी प्रभाव की देन है। फारसी लोगों ने पश्चिम की नदी 'सिन्धु' का उच्चारण 'हिन्दु' के रूप में किया, जिससे 'हिन्दी' शब्द यहाँ की भाषा या निवासियों के लिए प्रयुक्त होने लगी। इसी तरह ग्रीकवासियों ~~के प्रभाव से~~ ने 'सिन्धु' को 'इंदोस' और यहाँ के लोगों को 'इन्दोई' कहा। बाद में देश के लिए 'इण्डिया' प्रचलित हुआ।

तात्पर्य कि 'हिन्दी' शब्द का संबंध तो संस्कृत शब्द 'सिन्धु' से है, जिसका अर्थ समुद्र या बड़ी नदी है। किन्तु, फारसी भाषा में 'स' ध्वनि के अभाव तथा 'स' का उच्चारण 'ह' करने के कारण 'सिन्धु' का विकास - सिन्धु > हिन्दु > हेन्दव > हिन्द > हिन्दी रूप में हुआ। इस प्रकार हिन्दी की निरुक्ति मूल में भारतीय होने के बावजूद फारसी-प्रभावित है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में 'हिन्दी' शब्द क्षेत्र-बोधक था। कालान्तर में यह यहाँ की वस्तुओं और निवासियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। अन्ततः यह भाषा के लिए रूढ़ हो गया। परन्तु भाषा के सन्दर्भ में आज इसके तीन अर्थ मिलते हैं।—

① व्यापक अर्थ — अपने व्यापक अर्थ में 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग हिन्दी प्रदेशों — झारखण्ड, बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान — में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए किया जाता है। ये भाषाएँ हैं —

पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत — अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।

पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत — हिन्दोस्तानी (खड़ी बोली), बांगरू (हरियाणवी), ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुन्देली।

पहाड़ी हिन्दी के अन्तर्गत — नेपाली और जौनसारी (गढ़वाली, कुमाऊँनी)
राजस्थानी हिन्दी के अन्तर्गत — मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ढुंढाड़ी।
बिहारी हिन्दी के अन्तर्गत — मैथिली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी।

(ii) सामान्य अर्थ — जॉर्ज ग्रियर्सन एवं सुनीति कुमार चटर्जी आदि भाषा-विद् मानते हैं कि शौरसेनी एवं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी की आठ भाषाएँ ही हिन्दी भाषा के रूप में स्वीकृत की जा सकती हैं।

(iii) विशिष्ट अर्थ — अपने प्रचलित अर्थ में 'हिन्दी' आज पश्चिमी हिन्दी की एक उपभाषा – 'खड़ी बोली' के विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो रही है। इसी विशिष्ट अर्थ में "हिन्दी भाषा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 120, 210 तथा 343 से 351 तक – में राजभाषा घोषित किया गया है। परिनिष्ठित, मानक या व्यावहारिक हिन्दी के रूप में यही भाषा आज 42% लोगों की मातृभाषा और अन्य 30% लोगों द्वारा समझी जानेवाली भाषा है। इसी कारण यह देश की सम्पर्क भाषा है।

स्पष्टतः 'हिन्दी' नाम की किसी भाषा के न होते हुए भी यह हिन्दी प्रदेश की भाषाओं के लिए प्रचलित है। साहित्यिक रूप से इनमें खड़ी बोली, मैथिली, अवधी और ब्रजभाषा अधिक समृद्ध हैं। यों भाषा के अर्थ में हिन्दी भाषा के लिए 'हिन्दी' शब्द के अतिरिक्त समय-समय पर अन्य नाम — हिन्दुई, हिन्दवी, दाक्खिनी, हिन्दोस्तानी, रेखता, उर्दू आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। दिल्ली और आसपास की बोली के लिए जहाँ हिन्दुई, हिन्दवी, हिन्दोस्तानी आदि नाम प्रचलित थे, वहीं दक्षिण भारत के मुसलमानों की ~~भाषा को~~ हिन्दी को दाक्खिनी या दकनी कहा जाता था।